F.No.H.11021/21/2013-Part.

-6-

**To be issued in Hindi**

1/12

No. A. 43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

26 APR 2013

New Delhi, Dated the 23rd April 2013

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: - Transparency and Good Governance- Right to Information-publication of powers of officers.**

******

The undersigned is directed to forward herewith a letter dated 31.03.2013 of Shri Mani Ram Sharma (received in this Ministry 05.04.2013 on the above mentioned subject.

Since the subject matter (point no.1) of the letter does not pertain to any particular Division of this Ministry, the letter is forward to all CPIOs for taking appropriate action.

**Encl: As Above**

(Surojit Ghosh)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs /Department of Justice/ Department of Official Language (as per list attached)

Copy for information to:-

Shri Mani Ram Sharma
Advocate,
Nakul Nivas, Behind Roadways Depot,
SardarShahr-331403
District-Churu(Rajasthan)

03/5/13

Sh. Sharma SO(P)

REGISTERED

श्री सुशील कुमार शिंदे ,
माननीय गृह मंत्री ,
नोर्थ ब्लोक,
नई दिल्ली – 110001

मान्यवर,

पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन – सूचना का अधिकार- अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन

कृपया उक्त प्रसंग में मेरे पूर्व निवेदन दिनांक 17.03.2013 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम आपसे निवेदन किया गया था कि पारदर्शी एवम भ्रष्टाचारमुक्त शासन के लिए शक्तियों के प्रयोग करने में पारदर्शिता और समय मानक निर्धारित होना आवश्यक है क्योंकि विलम्ब भ्रष्टाचार की जननी है| इस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (b) (ii) में सभी स्तर के अधिकारियों की शक्तियां स्वप्रेरणा से प्रकाशित करना बाध्यता है किन्तु गृह मंत्रालय , नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली – 110001 सचिवालय ने इसकी अभी तक अनुपालना नहीं की है और सचिवगण अपनी शक्तियों के अतिक्रमण में निर्णय ले रहे हैं व नीतिगत मामलों में जन परिवेदनाओं को, बिना किसी प्रभारी मंत्री की अनुमति के, सचिव स्तर पर ही निस्संकोच निरस्त कर दिया जाता है| अधिकारियों की शक्तियों के सार्वजानिक दृष्टि गोचरता में रखने से ही जनता जान सकती है किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य उसकी शक्ति में है अथवा नहीं ।

1. सचिवालय ने जो भी आंशिक सूचना अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में प्रकाशित कर रखी है वह बिखरी हुई है व एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों के लिए दुविधाजनक है| सचिवालय ने धारा 4(1)(b)(i) से लेकर 4(1)(b)(xvii) तक की भावनात्मक अनुपालना नहीं की है और धारा 4 (1) (b) (ii) की तो बिलकुल भी अनुपालना नहीं की है| अतः अब धारा 4 (1) (b) (ii) की अनुपालना की जाये और धारा 4 से सम्बंधित समस्त सूचना एक ही स्थान पर समेकित कर बिन्दुवार/धारा –उपधारावार सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाये ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रावधानों की अनुपालना कर दी गयी है व कोई प्रावधान अनुपालना से छूटा नहीं है|
2. आप सचिवालय के मुखिया हैं और समस्त निर्णायक शक्तियां आप में ही निहित हैं| आपको परामर्श देने और निर्णय में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तर के सचिव और कमेटियां हैं किन्तु उन्हें किसी भी नियम, नीति सम्बद्ध विषय या नागरिकों के प्रतिवेदन/याचिका को स्वीकार करने का अधिकार

P.S. to Home Minister
Govt of India

Pl. examine & pu.
SO(9T) 8.4.13

F.No.H.11021/21/2013-Part.

-9-

**To be issued in Hindi**

1/12

No. A. 43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

26 APR 2013

New Delhi, Dated the 23rd April 2013

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: - Transparency and Good Governance- Right to Information-publication of powers of officers.**

******

The undersigned is directed to forward herewith a letter dated 31.03.2013 of Shri Mani Ram Sharma (received in this Ministry 05.04.2013 on the above mentioned subject.

Since the subject matter (point no.1) of the letter does not pertain to any particular Division of this Ministry, the letter is forward to all CPIOs for taking appropriate action.

**Encl: As Above**

(Surojit Ghosh)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs /Department of Justice/ Department of Official Language (as per list attached)

Copy for information to:-

Shri Mani Ram Sharma
Advocate,
Nakul Nivas, Behind Roadways Depot,
SardarShahr-331403
District-Churu(Rajasthan)

03/5/13

Sh. Sharma SO(P)

संख्या एच-11021/21/2013-संसद अनु0

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

***

10

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 22 मई, 2013

सेवा में,

श्री मनीराम शर्मा

एडवोकेट

नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे

सरदारशहर-331403

जिला चुरु, राजस्थान

विषय: पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन-सूचना का अधिकार-अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन-श्री मनीराम शर्मा, एडवोकेट के पत्र दिनांक 31.03.2013 के संदर्भ में।

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने 31.03.2013 के पत्र का संदर्भ ले। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि संसद अनुभाग आप के द्वारा उठाए गए सूचना के अधिकार नियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) (i) से लेकर धारा 4(1) (ख) (17) से संबंधित नहीं है तथा उपरोक्त धारा 4 के उपबिन्दुओं के प्रावधानों का अनुपालन करना संसद अनुभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

भवदीय

(तिलक राज)

अवर सचिव (संसद)

22/05/13

प्रतिलिपी: अवर सचिव (आर. टी. आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।